रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1092] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2016/वैशाख 15, 1938
No. 1092] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2016/VAISAKHA 15, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2016

का.आ.1653(अ).—गुजरात के शूलपानेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में घोषित करते हुए, एक प्रारूप अधिसूचना को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2079(अ), तारीख 30 जुलाई, 2015 को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 60 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां 30 जुलाई, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

और, केन्द्रीय सरकार समझती है कि गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित शूलपानेश्वर वन्यजीव अभयारण्य 607.708 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और जहाँ, शूलपानेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में वरटिब्रेट की 267 प्रजाति जिसमें मछली समूह (17 प्रजाति), एम्फिबियस (19 प्रजाति), रेपटाईल (16 प्रजाति), पक्षी (194 प्रजाति) और मैम्लस (21 प्रजाति) तथा एनबरटिब्रेड प्रजाति में सम्मिलित कीट प्रजाति (212 प्रजाति), अर्चिड समूह (57 प्रजाति) , कुस्टेकानिस (3 प्रजाति), मर्डरिपाड (3 प्रजाति), मोलोसक्स (9 प्रजाति) और अनालिड (4 प्रजाति), तथा रेपटर की 24 प्रजातियों कि उपलब्धता एक महत्वपूर्ण पहलू है ;

और जहाँ, तेन्दुआ (पैन्थरा पारड्स) एक श्रेष्ठ शिकारी है और जंगली बिल्ली (फेलिस चैउस), रस्टी स्पवट्ड कैट (फेलिस रुबिगिनोसा), कामन जैकाल (कैनिस औरोइस), इडियन ग्रे मैगूस, रुडि मैगूस, पालम सीबिट, पैथन, रसल्स वाइपर, कोबरा इत्यादि अन्य मुख्य शिकारी है और बार्किंग डियर और फोर हार्निड एंटिलोप बहुल शाकाहारी स्तनपायी के साथ संम्भर भी दिखाई पड़ते हैं;

और जहाँ, स्लोथ बियर, वाइल्ड बियर और रिसियूस माकाऊ मुख्य सर्वाहारी है और अभयारण्य की दुर्लभ प्रजाति में जइंट स्कैरल तथा फालइंग स्कैरल सम्मिलित हैं तथा दुर्लभ एवं विलुप्तप्राय जैव विविधता है ;

और जहाँ, शूलपानेश्वर वन में लगभग 600 वृक्ष प्रजातियाँ जिसमें फन्जी समूह (18 प्रजाति) , ब्रायोफेट समूह (6 प्रजाति) पेट्रीडोफेट्स (5 प्रजाति) और एन्जियोस्ब्रम (571 प्रजाति) कि दुर्लभ प्रजाति और मालोटस फिलीपयेनमिस, स्कराबेरा सूइटीनोइड्स इस तरह से नर्मदा के जल स्तर को दुबारा भरने में मदद करते हैं ;

और, शूलपानेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य के शूलपानेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 7 किलोमीटर तक के क्षेत्र को शूलपानेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 545.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है । वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से पारिस्थितिक संवेदी जोन 7 किलोमीटर के साथ विस्तृत है । शूलपानेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी और उत्तर-पूर्वी सीमा के साथ नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और यह प्राकृतिक सीमा बनाती है । उत्तर और उत्तर-पूर्वी अंतिम के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा गोरा ग्राम की उत्तरी सीमा के नर्मदा नदी तट का अभयारण्य भाग बनाती है । महाराष्ट्र राज्य की सीमा अभयारण्य के पूर्वी भाग का हिस्सा है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इसके सीमा विवरण के साथ जीपीएस निर्देशांकों के संदर्भ में **उपाबंध I** पर उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले 121 ग्रामों की सूची इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध II** पर उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) गुजरात प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई

(x) लोक निर्माण विभाग ; और

(xi) जनजाति विकास विभाग

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकजन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके ।

(9) गुजरात राज्य सरकार अपनी अधिकारिता वाले क्षेत्र की आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 11, 21, 27, 31 और 32 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण दस्तकार, सुविधा स्टोर और स्थानीय सुविधाएं हैं |

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों --** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, राज्य सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।

परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए गुजरात राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ. 630(अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन -** परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणीयों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है, मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाईयां –**

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों के किसी स्थापन की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग के किसी प्रस्थापन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी प्रकार के नए एवं विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए मकानों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या मकानों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के सदभाविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
5.	नए वृहत तापीय और जल विद्युत	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

	परियोजना।	
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनपचारित बहिस्रार्व और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
9.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
10.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
11.	होटल और विश्राम स्थलों का स्थापन।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
12.	सन्निर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा : परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी । (ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे। (ग) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
13.	खाई का मैदान।	नए खाई खोदने के मैदान का स्थापित किया जाना प्रतिषिद्ध है। पुराने खाई के मैदान लागू विधियों के अधीन विनियमित किए जाएं।
14.	प्लास्टिक बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	भू-जल उत्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं

		होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) परियोजना वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना अनुदेशों का पालन किया जाएगा।
19.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	विद्युत लाइनों को खड़ा करना।	भूमितगत केबलों का प्रोन्नयन। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर से गुजरने वाली सभी विद्यमान विद्युत लाइनों को आंचलिक महायोजना के अधीन विहित समय सीमा के भीतर पर्याप्त रूप से पृथक्कृत किया जाएगा।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
22.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन तथा आंचलिक महायोजना के अनुसार वाणिज्यिक वाहनों के विनियमित किया जाएगा।
25.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी सम्मिलत है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी भी स्त्रोत से जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
27.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
संवर्धित क्रियाकलाप		
28.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।

IndiaCode

30.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
31.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायो गैस, सोलर लाइट आदि को बढ़ावा दिया जाए।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) कलक्टर, जिला नर्मदा -अध्यक्ष

(ii) क्षेत्र का लोक सभा सदस्य,* – सदस्य

(iii) संबद्ध जिला पंचायत का अध्यक्ष -सदस्य

(iv) आदिवासी विकास विभाग, गुजरात सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य

(v) क्षेत्र का वरिष्ठ नगर योजनाकार -सदस्य

(vi) क्षेत्रीय अधिकारी, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला नर्मदा -सदस्य

(vii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले मे एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि -सदस्य

(viii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले मे एक वर्ष के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ -सदस्य

(ix) वन और पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि -सदस्य

(x) उप वन संरक्षक (शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य प्रभारी), जिला नर्मदा -सदस्य-सचिव

(*इस शर्त के अधीन रहते हुए कि गुजरात सरकार अन्य बातों के साथ लोक सभा के अध्यक्ष से अनुज्ञा सहित सुसंगत अनुमोदन, प्राप्त करेगी)

निर्देश निबंधन

(2) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा

IndiaCode

संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

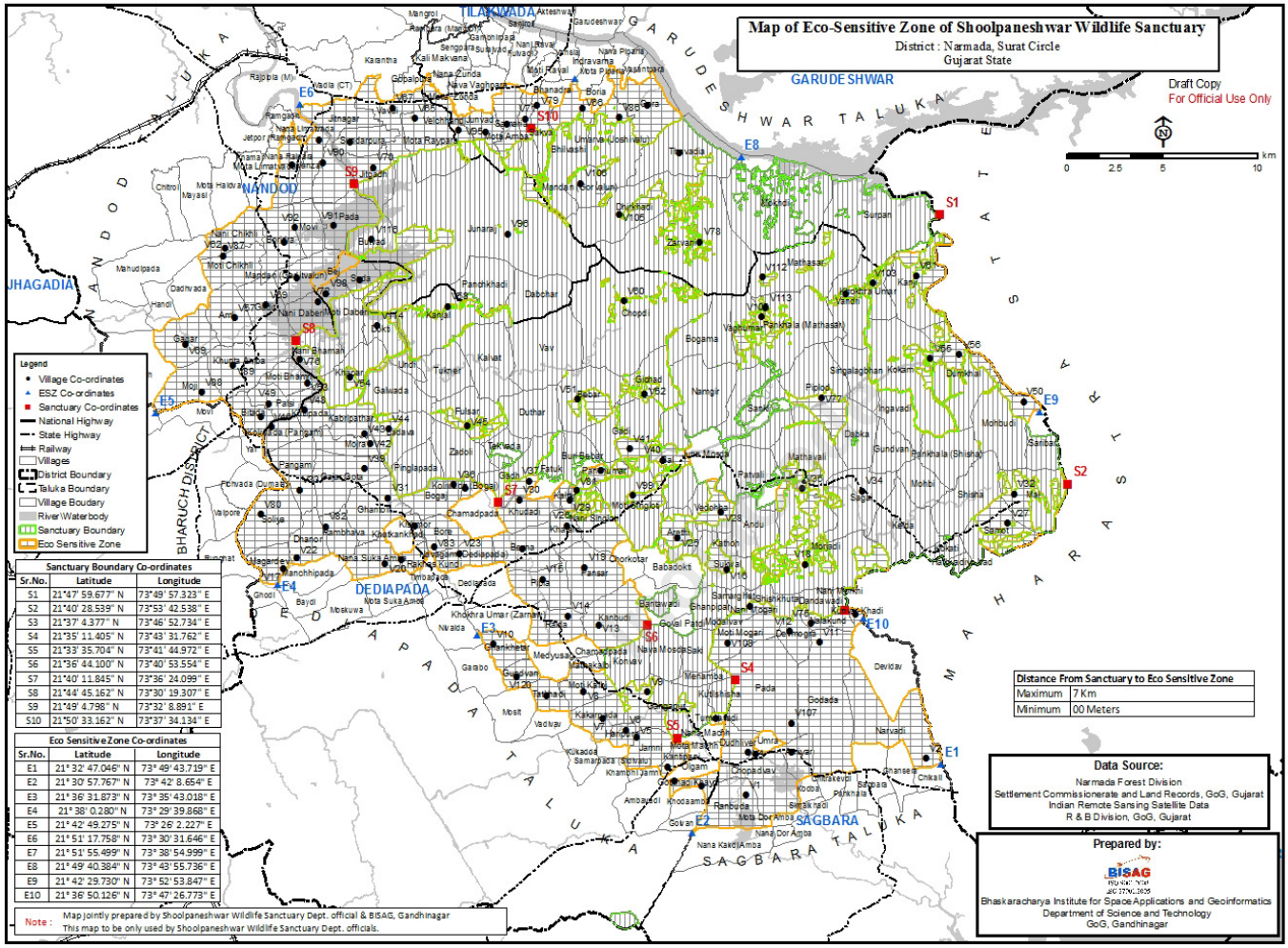
[फा. सं. 25/121/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

उपाबंध – I

शूलपानेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र के साथ जीपीएस निर्देशांकों के संदर्भ में सीमा विवरण



वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर प्रमुख बिंदुओं के निर्देशांक		
क्र. सं.	**अक्षांश**	**देशांतर**
एस 1	21°47’59.677” उ	73°49’57.323” पू
एस 2	21°40’28.539” उ	73°53’42.538” पू
एस 3	21°37’4.377” उ	73°45’52.734” पू

एस 4	21°35'11.405" उ	73°43'31.762" पू
एस 5	21°33'35.704" उ	73°41'44.972" पू
एस 6	21°36'44.100" उ	73°40'53.554" पू
एस 7	21°40'11.645" उ	73°36'24.099" पू
एस 8	21°44'45.152" उ	73°30'19.307" पू
एस 9	21°49'4.796" उ	73°32'8.891" पू
एस 10	21°50'33.162" उ	73°37'34.134" पू

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर प्रमुख बिंदुओं के निर्देशांक		
क्र. सं.	**अक्षांश**	**देशांतर**
ई 1	21°32'47.046" उ	73°49'43.719" पू
ई 2	21°30'57.767" उ	73°42'8.654" पू
ई 3	21°36'31.873" उ	73°35'43.018" पू
ई 4	21°38'0.280" उ	73°29'39.868" पू
ई 5	21°42'49.275" उ	73°26'2.227" पू
ई 6	21° 51'17.758" उ	73°30'31.646" पू
ई 7	21°51'55.499" उ	73°38'54.999" पू
ई 8	21°49'40.384" उ	73°40'55.796" पू
ई 9	21°42'29.730" उ	73°52'53.847" पू
ई 10	21°36'50.126" उ	73°47'26.773" पू

IndiaCode

उपाबंध II

शूलपानेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ

क्र. सं.	ग्रामों के नाम	तहसील	तलुका का नाम	अक्षांश	देशांतर
वी 1	रनबड़ा	नर्मदा	सगबरा	21° 31' 59.484" उ	73° 43' 48.023" पू
वी 2	नरवदी	नर्मदा	सगबरा	21° 32' 56.309" उ	73° 49' 17.091" पू
वी 3	अमीयर	नर्मदा	सगबरा	21° 33' 9.458" उ	73° 45' 11.829" पू
वी 4	दूधलीवर	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 33' 11.356" उ	73° 43' 53.475" पू
वी 5	जमनी	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 33' 37.877" उ	73° 40' 30.106" पू
वी 6	हरिपुर	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 33' 50.669" उ	73° 40' 11.240" पू
वी 7	काकरपड़ा	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 34' 9.929" उ	73° 39' 29.333" पू
वी 8	मोती कलबी	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 34' 56.068" उ	73° 38' 55.837" पू
वी 9	गंगापुर	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 34' 53.135" उ	73° 40' 51.233" पू
वी 10	घनचेटकर	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 36' 16.510" उ	73° 36' 12.010" पू
वी 11	गोददा	नर्मदा	सगबरा	21° 36' 12.079" उ	73° 46' 5.930" पू
वी 12	देवमोगरा	नर्मदा	सगबरा	21° 36' 31.030" उ	73° 45' 12.574" पू

वी 13	कनबुदी	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 36' 45.564" उ	73° 39' 24.777" पू
वी 14	रलडा	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 37' 1.892" उ	73° 38' 29.277" पू
वी 15	पीपला	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 38' 2.887" उ	73° 37' 42.872" पू
वी 16	सूकवल	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 38' 15.335" उ	73° 43' 19.130" पू
वी 17	मगरदेव	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 38' 26.601" उ	73° 29' 51.113" पू
वी 18	डवतरंकप	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 38' 21.364" उ	73° 45' 41.327" पू
वी 19	मोरजदी	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 38' 22.182" उ	73° 39' 0.713" पू
वी 20	नानासूकांबा	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 38' 32.358" उ	73° 32' 57.153" पू
वी 21	रख्स कुण्डी	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 38' 38.683" उ	73° 33' 27.140" पू
वी 22	धनौर	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 38' 43.887" उ	73° 30' 15.523" पू
वी 23	नवगम	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 38' 48.334" उ	73° 35' 13.190" पू
वी 24	बेसना	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 38' 54.496" उ	73° 37' 6.822" पू
वी 25	अरेठी	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 39' 8.096" उ	73° 41' 50.840" पू
वी 26	खातम	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 39' 31.468" उ	73° 38' 29.457" पू
वी 27	सामोट	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 39' 25.027" उ	73° 51' 52.782" पू
वी 28	वेदछा	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 39' 51.424" उ	73° 43' 10.511" पू
वी 29	कलतर	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 40' 13.535" उ	73° 38' 35.071" पू
वी 30	खुदादी	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 40' 15.494" उ	73° 37' 3.338" पू
वी 31	घंटोली	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 40' 22.361" उ	73° 33' 3.697" पू
वी 32	मल	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 40' 13.688" उ	73° 52' 5.389" पू
वी 33	पंगम	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 40' 37.065" उ	73° 30' 22.267" पू
वी 34	सगई	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 40' 22.307" उ	73° 47' 28.398" पू
वी 35	मथावली	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 40' 28.089" उ	73° 45' 38.243" पू
वी 36	बोगज	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 40' 42.889" उ	73° 35' 3.902" पू
वी 37	गध	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 40' 46.534" उ	73° 37' 20.632" पू
वी 38	पंचूमर	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 41' 2.250" उ	73° 39' 32.713" पू
वी 39	ग्जर गोटा	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 41' 11.439" उ	73° 32' 21.300" पू
वी 40	बल	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 41' 18.651" उ	73° 41' 24.851" पू
वी 41	गड़ी	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 41' 38.190" उ	73° 40' 24.897" पू
वी 42	मोजरा	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 41' 52.050" उ	73° 32' 31.901" पू
वी 43	कबरीपाथर	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 42' 9.816" उ	73° 32' 22.509" पू
वी 44	लडावा	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 42' 16.261" उ	73° 33' 6.643" पू
वी 45	फलसर	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 42' 19.871" उ	73° 35' 29.673" पू
वी 46	कोलीवाडा (पनगाम)	नर्मदा	दडियापड़ा	21° 42' 22.759" उ	73° 29' 33.879" पू
वी 47	बितादा	नर्मदा	नानदोड	21° 42' 39.969" उ	73° 29' 13.543" पू

वी 48	कुटिलपाडा	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 42' 49.497" उ	73° 30' 34.039" पू
वी 49	पलसी	नर्मदा	नानदोड	21° 43' 1.444" उ	73° 29' 28.509" पू
वी 50	मेहबुदी	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 42' 46.449" उ	73° 52' 25.952" पू
वी 51	बेबार	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 43' 1.390" उ	73° 38' 50.916" पू
वी 52	गिछद	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 43' 8.532" उ	73° 40' 53.905" पू
वी 53	मोती भामरी	नर्मदा	नानदोड	21° 43' 34.596" उ	73° 30' 39.590" पू
वी 54	खापर	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 43' 44.480" उ	73° 31' 56.492" पू
वी 55	कोकम	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 44' 0.775" उ	73° 49' 36.185" पू
वी 56	दुमखाल	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 44' 6.530" उ	73° 50' 29.221" पू
वी 57	अमली	नर्मदा	नानदोड	21° 45' 24.968" उ	73° 28' 28.223" पू
वी 58	कंजल	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 45' 38.751" उ	73° 34' 57.075" पू
वी59	गदीत	नर्मदा	नानदोड	21° 45' 45.921" उ	73° 29' 25.766" पू
वी60	चोपडी	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 45' 44.301" उ	73° 40' 18.847" पू
वी61	कांजी	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 46' 18.824" उ	73° 49' 11.930" पू
वी62	नानी चिखली	नर्मदा	नानदोड	21° 47' 20.496" उ	73° 28' 12.004" पू
वी63	मोता लिमतवाडा	नर्मदा	नानदोड	21° 49' 38.267" उ	73° 30' 16.217" पू
वी64	वेलछांदी	नर्मदा	नानदोड	21° 50' 31.471" उ	73° 35' 21.690" पू
वी65	मोता रायपारा	नर्मदा	नानदोड	21° 50' 52.761" उ	73° 34' 0.903" पू
वी66	भिलवाशी	नर्मदा	नानदोड	21° 51' 5.469" उ	73° 39' 6.979" पू
वी67	वावदी	नर्मदा	नानदोड	21° 51' 10.205" उ	73° 33' 20.456" पू
वी68	सादा	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 46' 25.499" उ	73° 32' 17.789" पू
वी69	गागर	नर्मदा	नानदोड	21° 44' 41.783" उ	73° 26' 57.016" पू
वी70	जीतनगर	नर्मदा	नानदोड	21° 49' 32.112" उ	73° 32' 44.024" पू
वी71	मोता अम्बा	नर्मदा	नानदोड	21° 50' 49.083" उ	73° 37' 22.783" पू
वी72	नानी दबेरी	नर्मदा	नानदोड	21° 45' 50.084" उ	73° 30' 59.939" पू
वी73	सुन्दारपुरा	नर्मदा	नानदोड	21° 50' 15.514" उ	73° 32' 2.111" पू
वी74	वन्जार	नर्मदा	नानदोड	21° 50' 18.415" उ	73° 31' 6.548" पू
वी75	नालाकुण्ड	नर्मदा	सगबार	21° 36' 43.658" उ	73° 45' 51.134" पू
वी76	नानी भामरी	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 44' 14.796" उ	73° 30' 24.974" पू
वी77	पिपलोद	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 42' 58.355" उ	73° 46' 16.583" पू
वी78	जरवानी	नर्मदा	नानदोड	21° 47' 20.491" उ	73° 42' 38.621" पू
वी79	सकवा	नर्मदा	नानदोड	21° 51' 11.028" उ	73° 37' 45.464" पू
वी80	सोलिया	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 39' 57.823" उ	73° 29' 10.808" पू
वी81	नानी सिंगलोती	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 40' 29.778" उ	73° 38' 46.846" पू
वी82	रमभावा	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 39' 35.794" उ	73° 31' 8.809" पू
वी83	बोरे	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 38' 59.197" उ	73° 34' 26.840" पू
वी84	खायदी	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 32' 15.756" उ	73° 42' 27.994" पू
वी85	गोरा	नर्मदा	नानदोड	21° 51' 8.760" उ	73° 41' 6.747" पू

IndiaCode

वी86	उमरवा (जोशीवालु)	नर्मदा	नानदोड	21° 50' 49.324" उ	73° 40' 14.589" पू
वी87	मोती चिखली	नर्मदा	नानदोड	21° 47' 8.365" उ	73° 28' 8.955" पू
वी88	मोजी	नर्मदा	नानदोड	21° 43' 21.829" उ	73° 27' 26.233" पू
वी89	खुनता अम्बा	नर्मदा	नानदोड	21° 44' 5.912" उ	73° 28' 24.151" पू
वी90	जीतगाध	नर्मदा	नानदोड	21° 49' 41.444" उ	73° 31' 13.289" पू
वी91	पाडा	नर्मदा	नानदोड	21° 47' 56.496" उ	73° 31' 31.516" पू
वी92	मोवी	नर्मदा	नानदोड	21° 47' 53.663" उ	73° 30' 20.448" पू
वी93	बोरीदरा	नर्मदा	नानदोड	21° 47' 29.660" उ	73° 30' 0.474" पू
वी94	समरिया	नर्मदा	नानदोड	21° 50' 41.505" उ	73° 36' 49.358" पू
वी95	जुनवाद	नर्मदा	नानदोड	21° 50' 28.522" उ	73° 36' 10.408" पू
वी96	जुनाराज	नर्मदा	नानदोड	21° 47' 38.271" उ	73° 36' 48.581" पू
वी97	चोपदवाव	नर्मदा	सगबारा	21° 33' 6.862" उ	73° 44' 7.674" पू
वी98	मोती दबेरी	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 46' 2.861" उ	73° 31' 15.641" पू
वी99	मेती सिंगलोटी	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 40' 20.518" उ	73° 40' 29.697" पू
वी100	कान्तीपानी	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 32' 47.912" उ	73° 41' 27.289" पू
वी101	गोटखाडी	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 32' 24.882" उ	73° 41' 37.775" पू
वी102	वघुमर	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 45' 14.075" उ	73° 44' 28.937" पू
वी103	खोखरा उमर	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 46' 7.546" उ	73° 47' 53.070" पू
वी104	वनदरी	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 45' 50.424" उ	73° 47' 3.477" पू
वी105	धीरखाडी	नर्मदा	नानदोड	21° 48' 8.520" उ	73° 40' 11.429" पू
वी106	मनदन (गोरवलुन)	नर्मदा	नानदोड	21° 49' 0.356" उ	73° 39' 3.006" पू
वी107	पाडा	नर्मदा	सगबारा	21° 33' 58.231" उ	73° 45' 13.811" पू
वी108	मोती मोगरी	नर्मदा	सगबारा	21° 36' 12.059" उ	73° 43' 18.891" पू
वी109	कुंवर खाडी	नर्मदा	सगबारा	21° 36' 56.837" उ	73° 47' 12.904" पू
वी110	नानी मोगरी	नर्मदा	सगबारा	21° 37' 13.218" उ	73° 44' 0.848" पू
वी111	कोलीवाडा (बोगज)	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 40' 37.120" उ	73° 35' 24.160" पू
वी112	माथासर	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 46' 20.530" उ	73° 44' 32.309" पू
वी113	पनखाला (माथासर)	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 45' 29.194" उ	73° 44' 36.746" पू
वी114	दोकती	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 45' 8.881" उ	73° 32' 48.271" पू
वी115	थावादिया	नर्मदा	नानदोड	21° 49' 48.707" उ	73° 42' 3.393" पू
वी116	बतवाद	नर्मदा	नानदोड	21° 47' 31.761" उ	73° 32' 39.248" पू
वी117	मनदन (गोदितवलुन)	नर्मदा	नानदोड	21° 46' 30.298" उ	73° 30' 23.179" पू
वी118	किशमोर	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 39' 35.447" उ	73° 33' 51.265" पू
वी119	तुमदावाडी	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 34' 7.012" उ	73° 42' 56.797" पू
वी120	गंदवान	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 35' 21.941" उ	73° 36' 54.535" पू
वी121	ततखाडी	नर्मदा	ददियापड़ा	21° 34' 49.608" उ	73° 37' 48.132" पू

MediaCell

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और दिनांक ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2016

S.O.1653(E).—Whereas, a draft notification, declaring Eco-sensitive Zone around Shoolpaneshwar Wildlife Sanctuary in Gujarat, was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2079 (E), dated the 30th July 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 30th July, 2015;

And whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

And whereas, the Central Government considers that the Shoolpaneshwar Wildlife Sanctuary situated in Narmada District, Gujarat is spread over an area of 607.708 squarer kilometers;

And whereas, Shoolpaneshwar Wildlife Sanctuary has 267 vertebrate species belonging to Fishes group (17 spp.), Amphibians (19 spp.), Reptile (16 spp.), Birds (194 spp.) and Mammals (21 spp.) and the invertebrate species include Insect group (212 spp.) Arachnid group (57 spp.) Crustaceans (3 spp.), Myriapod (3 spp.), Molluscs (9 spp.) and Annalid (4 spp.) and the significant aspect is presence of 24 species of raptor;

And whereas, Leopard (*Panthera pardus*) is the top predator and Jungle cat (*Felis chaus*), Rusty spotted cat (*Felis rubiginosa*), Common Jackal (*Canis aureus*), Indian Fox (*Vulpes bengalensis*), Honey badger (*Mellivora Capensis*), Indian grey mongoose, Ruddy mongoose, Palm Civet, Python, Russell's viper, Cobra, etc. are other important predator and the barking deer and four horned antelope are abundant mammalian herbivore, with sightings of Sambar;

And whreas, Sloth bear, Wild Boar and Rhesus Macaque are important omnivores and the rare species of the sanctuary includes the giant squirrel and the flying squirrel and the rare and endangered biological diversity;

And whereas, Shoolpaneshwar forest has about 600 plant species which contain Fungi group (18 spp.), bryophyte group (6 spp.), pteridophytes (5 spp.) and angiosperms (571 spp.) including rare varieties and Mallotus phillippensis, Schrebera swietenioides thus plays an important role in recharging the water table of Narmada;

IndiaCode

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Shoolpaneshwar Wildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries, or class of industries, and their operations or processes in the said Eco-sensitive zone;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent of upto 7 kms around the boundary of the Shoolpaneshwar Wildlife Sanctuary in the State of Gujarat as the Shoolpaneshwar Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 545.20 square kilometers The extent of Eco-sensitive Zone varies up to 7 kilometers from the boundary of the Wildlife Sanctuary. River Narmada flows along the northern and north-eastern boundary of the Shoolpaneshwar Wildlife Sanctuary and forms its natural boundary. The sanctuary-side river bank of the Narmada river upto the northern boundary of Gora village forms the boundary of the Eco-sensitive Zone on the north and north-eastern end. On the eastern side the sanctuary shares boundary with the State of Maharashtra.

(1) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details in terms of GPS coordinates is appended as **Annexure-I**.

(2) The list of 121 villages falling in the Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

IndiaCode

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The said Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The said Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(viii) Gujarat State Pollution Control Board;
(ix) Irrigation;
(x) Public Works Department; and
(xi) Tribal Development Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The said Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The said Master Plan shall demarcate all the existing places of worship, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The State Government of Gujarat shall prepare Zonal Master Plans for area under their jurisdiction.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 11, 21, 27, 31 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly Friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

IndiaCode

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, in consultation with the Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.

However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the boundary of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Gujarat State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Gujarat State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-** No discharge of untreated effluent is permitted and the discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made there under.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units. -**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
9.	Protection of hill slopes and river banks and coastal areas.	Regulated under applicable laws.
10.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
11.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the boundary of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that local people shall be permitted to

		undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted as per applicable rules and regulations, if any, with the prior permission from the competent authority. (c) However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and upto the boundary of Eco- sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan.
14.	Use of plastic bags.	Regulated under applicable laws.
15.	Air and Vehicular Pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
17.	Extraction of ground. water	Regulated under applicable laws.
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder; (c) in case of Project Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
19.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
20.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
21.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
23.	Sign Boards and Hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of Vehicular Traffic.	Regulated for commercial vehicles as per the Zonal Master Plan and the applicable laws.
25.	Drastic Change of Agriculture systems or land use pattern.	Regulated under applicable laws.
26.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
27.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.

Indiacode

Promoted Activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:-

(1)The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Gujarat, which shall comprise of the following namely:-

(i)	Collector, Narmada District	– Chairman
(ii)	Member of Parliament of the area*	– Member
(iii)	President of Concerned Zilla Panchayat	– Member
(iv)	Representative of Tribal Development Department, Government of Gujarat	– Member
(v)	Senior Town Planner of the area	– Member
(vi)	Regional Officer, Gujarat State Pollution Control Board, Narmada District	– Member
(vii)	A representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment to be nominated by the State Government for a term of one year in each case	-Member
(viii)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government for a term of one year in each case	-Member
(ix)	A representative of the Department of Forest and Environment, Government of Gujarat	– Member
(x)	Deputy Conservator of Forests (in charge of the Shoolpaneshwar Wildlife Sanctuary), Narmada District	-Member-Secretary

*Subject to the State Government of Gujarat obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Lok Sabha

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the

IndiaCode

Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

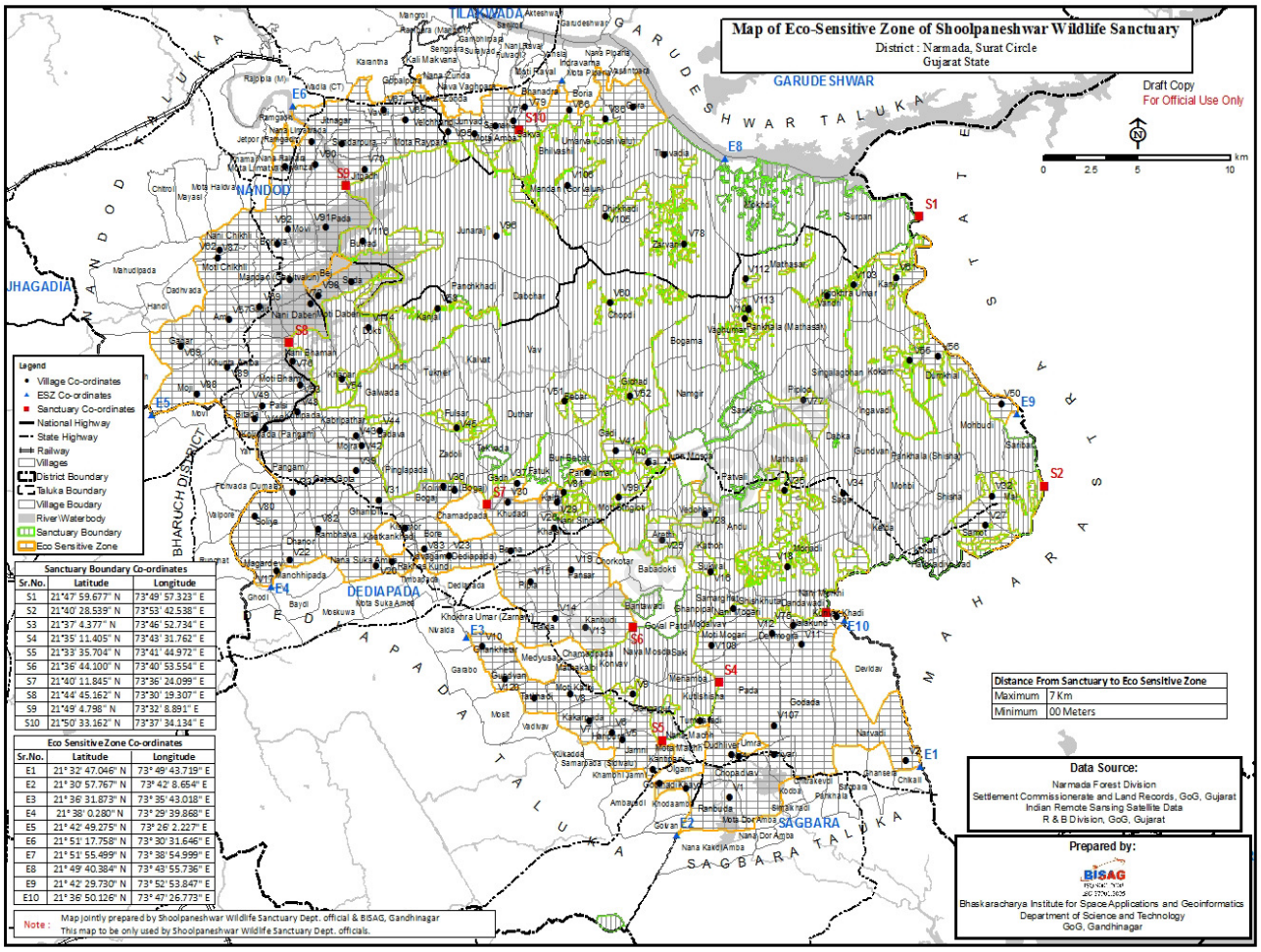
[F. No. 25/121/2015-ESZ -RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

IndiaCode

ANNEXURE-I

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SHOOLPANESHWAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH BOUNDARY DETAILS IN TERMS OF GPS COORDINATES



Coordinates of prominent points on the boundary of Wildlife Sanctuary		
S. No.	Latitude	Longitude
S 1	21°47’59.677” N	73°49’57.323” E
S 2	21°40’28.539” N	73°53’42.538” E
S 3	21°37’4.377” N	73°45’52.734” E
S 4	21°35’11.405” N	73°43’31.762” E
S 5	21°33’35.704” N	73°41’44.972” E
S 6	21°36’44.100” N	73°40’53.554” E
S 7	21°40’11.645” N	73°36’24.099” E
S 8	21°44’45.152” N	73°30’19.307” E
S 9	21°49’4.796” N	73°32’8.891” E
S 10	21°50’33.162” N	73°37’34.134” E

Coordinates of prominent points on the boundary of Eco-sensitive Zone		
S. No.	Latitude	Longitude
E 1	21°32’47.046” N	73°49’43.719” E
E 2	21°30’57.767” N	73°42’8.654” E
E 3	21°36’31.873” N	73°35’43.018” E
E 4	21°38’0.280” N	73°29’39.868” E
E 5	21°42’49.275” N	73°26’2.227” E
E 6	21° 51’17.758” N	73°30’31.646” E
E 7	21°51’55.499” N	73°38’54.999” E
E 8	21°49’40.384” N	73°40’55.796” E
E 9	21°42’29.730” N	73°52’53.847” E
E 10	21°36’50.126” N	73°47’26.773” E

IndiaCode

Annexure-II

Villages falling within the Eco-Sensitive Zone of Shoolpaneshwar Wildlife Sanctuary with latitudes and longitudes

S No.	Village Name	District Name	Taluka Name	Latitude	Longitude
V1	Ranbuda	Narmada	Sagbara	21° 31' 59.484" N	73° 43' 48.023" E
V2	Narvadi	Narmada	Sagbara	21° 32' 56.309" N	73° 49' 17.091" E
V3	Amiyar	Narmada	Sagbara	21° 33' 9.458" N	73° 45' 11.829" E
V4	Dudhliver	Narmada	Sagbara	21° 33' 11.356" N	73° 43' 53.475" E
V5	Jamni	Narmada	Dediapada	21° 33' 37.877" N	73° 40' 30.106" E
V6	Haripura	Narmada	Dediapada	21° 33' 50.669" N	73° 40' 11.240" E
V7	Kakarpada	Narmada	Dediapada	21° 34' 9.929" N	73° 39' 29.333" E
V8	Moti Kalbi	Narmada	Dediapada	21° 34' 56.068" N	73° 38' 55.837" E
V9	Gangapur	Narmada	Dediapada	21° 34' 53.135" N	73° 40' 51.233" E
V10	Ghankhetar	Narmada	Dediapada	21° 36' 16.510" N	73° 36' 12.010" E
V11	Godada	Narmada	Sagbara	21° 36' 12.079" N	73° 46' 5.930" E
V12	Devmogra	Narmada	Sagbara	21° 36' 31.030" N	73° 45' 12.574" E
V13	Kanbudi	Narmada	Dediapada	21° 36' 45.564" N	73° 39' 24.777" E

V14	Ralda	Narmada	Dediapada	21° 37' 1.892" N	73° 38' 29.277" E
V15	Pipla	Narmada	Dediapada	21° 38' 2.887" N	73° 37' 42.872" E
V16	Sukwal	Narmada	Dediapada	21° 38' 15.335" N	73° 43' 19.130" E
V17	Magardev	Narmada	Dediapada	21° 38' 26.601" N	73° 29' 51.113" E
V18	Morjadi	Narmada	Dediapada	21° 38' 21.364" N	73° 45' 41.327" E
V19	Pansar	Narmada	Dediapada	21° 38' 22.182" N	73° 39' 0.713" E
V20	Nana Suka Amba	Narmada	Dediapada	21° 38' 32.358" N	73° 32' 57.153" E
V21	Rakhas Kundi	Narmada	Dediapada	21° 38' 38.683" N	73° 33' 27.140" E
V22	Dhanor	Narmada	Dediapada	21° 38' 43.887" N	73° 30' 15.523" E
V23	Navagam (Dediapada)	Narmada	Dediapada	21° 38' 48.334" N	73° 35' 13.190" E
V24	Besna	Narmada	Dediapada	21° 38' 54.496" N	73° 37' 6.822" E
V25	Arethi	Narmada	Dediapada	21° 39' 8.096" N	73° 41' 50.840" E
V26	Khatam	Narmada	Dediapada	21° 39' 31.468" N	73° 38' 29.457" E
V27	Samot	Narmada	Dediapada	21° 39' 25.027" N	73° 51' 52.782" E
V28	Vedchha	Narmada	Dediapada	21° 39' 51.424" N	73° 43' 10.511" E
V29	Kaltar	Narmada	Dediapada	21° 40' 13.535" N	73° 38' 35.071" E
V30	Khudadi	Narmada	Dediapada	21° 40' 15.494" N	73° 37' 3.338" E
V31	Ghantoli	Narmada	Dediapada	21° 40' 22.361" N	73° 33' 3.697" E
V32	Mal	Narmada	Dediapada	21° 40' 13.688" N	73° 52' 5.389" E
V33	Pangam	Narmada	Dediapada	21° 40' 37.065" N	73° 30' 22.267" E
V34	Sagai	Narmada	Dediapada	21° 40' 22.307" N	73° 47' 28.398" E
V35	Mathavali	Narmada	Dediapada	21° 40' 28.089" N	73° 45' 38.243" E
V36	Bogaj	Narmada	Dediapada	21° 40' 42.889" N	73° 35' 3.902" E
V37	Gadh	Narmada	Dediapada	21° 40' 46.534" N	73° 37' 20.632" E
V38	Panchumar	Narmada	Dediapada	21° 41' 2.250" N	73° 39' 32.713" E
V39	Gajar Gota	Narmada	Dediapada	21° 41' 11.439" N	73° 32' 21.300" E
V40	Bal	Narmada	Dediapada	21° 41' 18.651" N	73° 41' 24.851" E
V41	Gadi	Narmada	Dediapada	21° 41' 38.190" N	73° 40' 24.897" E
V42	Mojra	Narmada	Dediapada	21° 41' 52.050" N	73° 32' 31.901" E
V43	Kabripathar	Narmada	Dediapada	21° 42' 9.816" N	73° 32' 22.509" E
V44	Ladava	Narmada	Dediapada	21° 42' 16.261" N	73° 33' 6.643" E
V45	Fulsar	Narmada	Dediapada	21° 42' 19.871" N	73° 35' 29.673" E
V46	Koliwada (Pangam)	Narmada	Dediapada	21° 42' 22.759" N	73° 29' 33.879" E
V47	Bitada	Narmada	Nandod	21° 42' 39.969" N	73° 29' 13.543" E
V48	Kutilpada	Narmada	Dediapada	21° 42' 49.497" N	73° 30' 34.039" E
V49	Palsi	Narmada	Nandod	21° 43' 1.444" N	73° 29' 28.509" E
V50	Mohbudi	Narmada	Dediapada	21° 42' 46.449" N	73° 52' 25.952" E
V51	Bebar	Narmada	Dediapada	21° 43' 1.390" N	73° 38' 50.916" E
V52	Gichad	Narmada	Dediapada	21° 43' 8.532" N	73° 40' 53.905" E
V53	Moti Bhamri	Narmada	Nandod	21° 43' 34.596" N	73° 30' 39.590" E
V54	Khapar	Narmada	Dediapada	21° 43' 44.480" N	73° 31' 56.492" E
V55	Kokam	Narmada	Dediapada	21° 44' 0.775" N	73° 49' 36.185" E
V56	Dumkhal	Narmada	Dediapada	21° 44' 6.530" N	73° 50' 29.221" E
V57	Amli	Narmada	Nandod	21° 45' 24.968" N	73° 28' 28.223" E
V58	Kanjal	Narmada	Dediapada	21° 45' 38.751" N	73° 34' 57.075" E
V59	Gadit	Narmada	Nandod	21° 45' 45.921" N	73° 29' 25.766" E
V60	Chopdi	Narmada	Dediapada	21° 45' 44.301" N	73° 40' 18.847" E
V61	Kanji	Narmada	Dediapada	21° 46' 18.824" N	73° 49' 11.930" E
V62	Nani Chikhli	Narmada	Nandod	21° 47' 20.496" N	73° 28' 12.004" E
V63	Mota Limatvada	Narmada	Nandod	21° 49' 38.267" N	73° 30' 16.217" E
V64	Velchhandi	Narmada	Nandod	21° 50' 31.471" N	73° 35' 21.690" E
V65	Mota Raypara	Narmada	Nandod	21° 50' 52.761" N	73° 34' 0.903" E
V66	Bhilvashi	Narmada	Nandod	21° 51' 5.469" N	73° 39' 6.979" E
V67	Vavdi	Narmada	Nandod	21° 51' 10.205" N	73° 33' 20.456" E
V68	Sada	Narmada	Dediapada	21° 46' 25.499" N	73° 32' 17.789" E

V69	Gagar	Narmada	Nandod	21° 44' 41.783" N	73° 26' 57.016" E
V70	Jitnagar	Narmada	Nandod	21° 49' 32.112" N	73° 32' 44.024" E
V71	Mota Amba	Narmada	Nandod	21° 50' 49.083" N	73° 37' 22.783" E
V72	Nani Daberi	Narmada	Nandod	21° 45' 50.084" N	73° 30' 59.939" E
V73	Sundarpura	Narmada	Nandod	21° 50' 15.514" N	73° 32' 2.111" E
V74	Vanzar	Narmada	Nandod	21° 50' 18.415" N	73° 31' 6.548" E
V75	Nalakund	Narmada	Sagbara	21° 36' 43.658" N	73° 45' 51.134" E
V76	Nani Bhamari	Narmada	Dediapada	21° 44' 14.796" N	73° 30' 24.974" E
V77	Piplod	Narmada	Dediapada	21° 42' 58.355" N	73° 46' 16.583" E
V78	Zarvani	Narmada	Nandod	21° 47' 20.491" N	73° 42' 38.621" E
V79	Sakva	Narmada	Nandod	21° 51' 11.028" N	73° 37' 45.464" E
V80	Soliya	Narmada	Dediapada	21° 39' 57.823" N	73° 29' 10.808" E
V81	Nani Singloti	Narmada	Dediapada	21° 40' 29.778" N	73° 38' 46.846" E
V82	Rambhava	Narmada	Dediapada	21° 39' 35.794" N	73° 31' 8.809" E
V83	Bore	Narmada	Dediapada	21° 38' 59.197" N	73° 34' 26.840" E
V84	Khaydi	Narmada	Dediapada	21° 32' 15.756" N	73° 42' 27.994" E
V85	Gora	Narmada	Nandod	21° 51' 8.760" N	73° 41' 6.747" E
V86	Umarva (Joshivalu)	Narmada	Nandod	21° 50' 49.324" N	73° 40' 14.589" E
V87	Moti Chikhli	Narmada	Nandod	21° 47' 8.365" N	73° 28' 8.955" E
V88	Moji	Narmada	Nandod	21° 43' 21.829" N	73° 27' 26.233" E
V89	Khunta Amba	Narmada	Nandod	21° 44' 5.912" N	73° 28' 24.151" E
V90	Jitgadh	Narmada	Nandod	21° 49' 41.444" N	73° 31' 13.289" E
V91	Pada	Narmada	Nandod	21° 47' 56.496" N	73° 31' 31.516" E
V92	Movi	Narmada	Nandod	21° 47' 53.663" N	73° 30' 20.448" E
V93	Boridra	Narmada	Nandod	21° 47' 29.660" N	73° 30' 0.474" E
V94	Samaria	Narmada	Nandod	21° 50' 41.505" N	73° 36' 49.358" E
V95	Junvad	Narmada	Nandod	21° 50' 28.522" N	73° 36' 10.408" E
V96	Junaraj	Narmada	Nandod	21° 47' 38.271" N	73° 36' 48.581" E
V97	Chopadvav	Narmada	Sagbara	21° 33' 6.862" N	73° 44' 7.674" E
V98	Moti Daberi	Narmada	Dediapada	21° 46' 2.861" N	73° 31' 15.641" E
V99	Moti Singloti	Narmada	Dediapada	21° 40' 20.518" N	73° 40' 29.697" E
V100	Kantipani	Narmada	Dediapada	21° 32' 47.912" N	73° 41' 27.289" E
V101	Gotkhadi	Narmada	Dediapada	21° 32' 24.882" N	73° 41' 37.775" E
V102	Vaghumar	Narmada	Dediapada	21° 45' 14.075" N	73° 44' 28.937" E
V103	Khokhra Umar	Narmada	Dediapada	21° 46' 7.546" N	73° 47' 53.070" E
V104	Vandri	Narmada	Dediapada	21° 45' 50.424" N	73° 47' 3.477" E
V105	Dhirkhadi	Narmada	Nandod	21° 48' 8.520" N	73° 40' 11.429" E
V106	Mandan (Gorvalun)	Narmada	Nandod	21° 49' 0.356" N	73° 39' 3.006" E
V107	Pada	Narmada	Sagbara	21° 33' 58.231" N	73° 45' 13.811" E
V108	Moti Mogari	Narmada	Sagbara	21° 36' 12.059" N	73° 43' 18.891" E
V109	Kunvar Khadi	Narmada	Sagbara	21° 36' 56.837" N	73° 47' 12.904" E
V110	Nani Mogari	Narmada	Sagbara	21° 37' 13.218" N	73° 44' 0.848" E
V111	Koliwada (Bogaj)	Narmada	Dediapada	21° 40' 37.120" N	73° 35' 24.160" E
V112	Mathasar	Narmada	Dediapada	21° 46' 20.530" N	73° 44' 32.309" E
V113	Pankhala (Mathasar)	Narmada	Dediapada	21° 45' 29.194" N	73° 44' 36.746" E
V114	Dokti	Narmada	Dediapada	21° 45' 8.881" N	73° 32' 48.271" E
V115	Thavadia	Narmada	Nandod	21° 49' 48.707" N	73° 42' 3.393" E
V116	Butvad	Narmada	Nandod	21° 47' 31.761" N	73° 32' 39.248" E
V117	Mandan (Gaditvalun)	Narmada	Nandod	21° 46' 30.298" N	73° 30' 23.179" E
V118	Kishmor	Narmada	Dediapada	21° 39' 35.447" N	73° 33' 51.265" E
V119	Tumdavadi	Narmada	Dediapada	21° 34' 7.012" N	73° 42' 56.797" E
V120	Gundvan	Narmada	Dediapada	21° 35' 21.941" N	73° 36' 54.535" E
V121	Tatkhadi	Narmada	Dediapada	21° 34' 49.608" N	73° 37' 48.132" E

Annexure -III

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
 Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.